वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 12.02.2025

चार बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को चार बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई और एक अवैध निर्माण सील किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सारनाथ के पतेरवां में शुभम पटेल और दिनेश यादव की ओर से चार बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया। सारनाथ वार्ड के अकथा में रजत सिंह व विवेक सिंह की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 12.02.2025

डीआईजी कॉलोनी में अधिकारी आवास के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत

वाराणसी। वीडीए की बोर्ड बैठक में खजुरी स्थित डीआईजी कॉलोनी के प्लॉट संख्या 58 पर अधिकारियों के लिए आवासों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा प्लॉट संख्या-34 पर स्थित निष्प्रयोज्य भवन के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में डीपीआर तैयार कर तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की संस्तुति की गई है। प्लॉट संख्या-58 पर बनने वाले भवनों के निर्माण पर अनुमानित लागत 2.68 करोड़ है। इसमें तीन मंजिल भवन में टू और थ्री बीएचके के चार फ्लैट बनेंगे। प्लॉट संख्या-34 पर तीन मंजिल पर टू और थ्री बीएचके के छह फ्लैट बनेंगे। इसकी लागत 3.84 करोड़ है। इन भवनों में आरसीसी कार्य, फिनिशिंग, फायर फाइटिंग और मशीन रूम जैसी सुविधाएं होंगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 12.02.2025

डीआइजी कालोनी में बनेगा अधिकारी आवास

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण बोर्ड ने बारामती खजूरी स्थित डीआइजी कालोनी के प्लाट संख्या -58 पर अधिकारियों के लिए आवासों के निर्माण और प्लाट संख्या-34 पर स्थित निष्प्रयोज्य भवन के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। डीपीआर तैयार कर तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की गई है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार प्लाट संख्या-58 पर 268.24 लाख से तीन मंजिले भवनों का निर्माण होगा। इसमें तीन बीएचके और दो फ्लैट और दो बीएचके के दो फ्लैट होंगे। प्लाट संख्या-34 पर तीन मंजिले भवनों में तीन फ्लैट तीन बीएचके और दो फ्लैट दो बीएचके के होंगे।

दैनिक जागरण–दि0 12.02.2025

रियल एस्टेट एसोसिएशन ने की मांग, पारदर्शिता बढ़े

जासं, वाराणसी : वीडीए में कार्यशाला में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की भूमिका, उसके अधिकारों और दायित्वों पर चर्चा की गई। इसमें पारदर्शिता और सुव्यवस्थित प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया। पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन ने उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राजीव मेहतानी, सचिव वेद प्रकाश, अपर सचिव परमानंद, क्रेडाई के अध्यक्ष आकाश दीप आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 12.02.2025

बिल्डर को 5 साल करना होगा फ्लैट का रखरखाव

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए मुख्यालय में मंगलवार को कॉलोनियों, मोहल्लों में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के गठन पर कार्यशाला हुई। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010 के तहत आरडब्ल्यूए के गठन, क्रियान्वयन, कर्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी दी गई।

सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऐंड ट्रेनिंग यूपी के पूर्व निदेशक राजेश मेहतानी ने कहा कि भवन, अपार्टमेंट का निर्माण पूरा होने के बाद डेवलपर को पूर्णता पत्र देना अनिवार्य है। 33 प्रतिशत आवंटियों को कब्जा देने के बाद आरडब्ल्यूए का गठन होना चाहिए। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष में या 75 प्रतिशत आवंटियों को कब्जा दिये जाने के बाद कॉमन एरिया आरडब्ल्यूए हस्तान्तरित हो जाना चाहिए। कब्जा मिलने के बाद 5 वर्ष तक फ्लैट की संरचनात्मक कमियों को ठीक करवाना संबंधित डेवलपर की जिम्मेदारी है।

बैठक में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव परमानन्द यादव, क्रेडाई पूर्वांचल के अध्यक्ष आकाश दीप, प्रशांत केजरीवाल, जितेन्द्र कुमार, संतोष राणा, मनीषा गौड़ आदि रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 12.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 वार्ड-सारनाथ के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत रजत सिंह व विवेक सिंह द्वारा मौजा अकथा परगना शिवपुर जिला वाराणसी में लगभग 500 वर्गमीटर के भूमि क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित एस+3 तालों के ऊपर चतुर्थ तल पर निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता वर्तिका दुबे एवं विनोद कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। वही दुसरी तरफ वार्ड- सारनाथ के अन्तर्गत शुभम पटेल व दिनेश यादव द्वारा मौजा पतेरवां थाना सारनाथ में लगभग 04 बीघा की अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी। उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 11.02.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 12.02.2025

वीडीए जोन-2 ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्वाही सम्पादित की गयी। वार्ड- सारनाथ के अन्तर्गत शुभम पटेल व दिनेश यादव द्वारा मौजा पतेरवां थाना सारनाथ में लगभग 04 बीघा की अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 11.02.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश,अवर अभियंता वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 12.02.2025

आर0डब्लू0ए0 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन के बाद जिम्मेदारी न निभाने वालों के खिलाफ की जायेगी कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव का संवर्धन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन, क्रियान्वयन, कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राजेश मेहतानी (पूर्व निदेशक, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग, यूपी) द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके उल्लेखनीय बिन्दु निम्नवत् है- भवन/अपार्टमेन्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त डेवलपर को भवन/अपार्टमेंट को पूर्णता पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त 33 प्रतिशत आवंटियों को कब्जा दिये जाने के उपरान्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हो जाना चाहिए। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के 01 वर्ष के अन्दर या 75 प्रतिशत आवंटियों को कब्जा दिये जाने के पश्चात् (जो भी पहले हो) कामन एरिया सम्बन्धित आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तान्तरित हो जाना चाहिए।फ्लैट का कब्जा डेवलपर से प्राप्त करने के दिनांक से 05 वर्ष तक फ्लैट की संरचनात्मक त्रुटि ठीक करवाना सम्बन्धित डेवपलर का दायित्व होगा। विधिक रूप से निर्वाचित आर0डब्ल्यू0ए0 द्वारा नियत अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किसी आवंटी द्वारा यदि आर0डब्ल्यू0ए0 को 12 माह तक नहीं किया जाता है, तो आर0डब्ल्यू0ए0 सम्बन्धित आवंटी को नोटिस दे सकता है। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण में उक्त आशय की सूचना दे सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच कराते हुए सम्बन्धित फ्लैट स्वामी को नोटिस जारी किया जा सकता है एवं अनुरक्षण शुल्क न जमा करने पर रिकवरी सर्टीफिकेट (आर0सी0) जारी की जायेगी एवं उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।अत: रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (ई।) का गठन होने के पश्चात् समस्त ै। द्वारा उ0प्र0 अपार्टमेन्ट ऐक्ट 2010 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है अन्यथा सम्बन्धित ै। के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यशाला में सचिव डॉ. वेद प्रकाश शर्मा, अपर सचिव परमानन्द यादव, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, आकाश दीप अध्यक्ष, क्रेडाई पूर्वांचल बिल्डर्स एसोसिएशन, प्रशांत केजरीवाल, सचिव पूर्वांचल बिल्डर्स एसोसिएशन, जितेन्द्र कुमार उपाध्यक्ष, संतोष राणा, मनीषा गौड़, आर्किटेक्ट्स/इंजीनियर एसोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डिवेलपर्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आदि के सदस्य भी उपस्थित रहे।